न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
3/31/2022	05/07/2022	13/07/2022

वउनवान

1. धर्म सिंह पुत्र श्री जयनारायण सिंह जाति राजपूत उम्र करीब 68 साल निवासी ग्राम वजीरपुर तहसील व जिला गुडगाँवा (गुरुग्राम) राज्य हरियाणा ।

..... प्रार्थी

वनाम

1. तेजपाल सिंह पुत्र श्री अमर सिंह जाति सिख
2. दलेर सिंह पुत्र श्री अमर सिंह जाति सिख निवासीयान ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर राजस्थान।
3. श्रीमान् तहसीलदार महोदय, अलवर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 07.04.2014 को अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता अमर सिंह पुत्र श्री ईसर सिंह से उनके कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी भूमि 271 रकबा 0.28 है० नहरी द्वितीय जो वाके ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर में स्थित है, को उनके हिस्से को खरीद किया गया था जो खातेदारी में संलग्न जमावंदी 2066 से 2069 में नया खाता संख्या 7 से है। जिसमें अमर सिंह का हिस्सा 17/28 अर्थात् रकबा 0.17 है0 प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता से खरीद किया गया था। उक्त आराजी भूमि की खरीद के पश्चात् विक्रेता अमर सिंह पुत्र श्री ईसर सिंह का देहान्त हो गया था जिस कारण से स्वाभाविक रूप से उक्त अमर सिंह की विरासत का इन्तकाल उक्त आराजी की बावत अप्रार्थी संख्या एक व दो के हक में खोल दिया गया था। जबकि वयनामा के अनुसार उक्त आराजी भूमि का इन्तकाल क्रेता/प्रार्थी के हक में विधि अनुसार खुलना चाहिये था तथा उक्त खरीदशुदा हिस्से की बावत जमावंदी में प्रार्थी का नाम अमल में आना चाहिये था जो सहवन से जमाबंदी में प्रार्थी के नाम के स्थान पर अप्रार्थी संख्या एक व दो का नाम विरासत का इन्तकाल दर्ज हो गया। जिस बयनामा की प्रति सक्षम राजस्व अधिकारी को प्रार्थी द्वारा दे दी गई थी परन्तु सहवन से अमर सिंह की मृत्यु होने पर उसके वारिसान के हक में उक्त इन्द्राजात गलत दर्ज हो गया है। उक्त इन्द्राजात की जानकारी होने पर अप्रार्थी संख्या एक व दो द्वारा उक्त इन्द्राजात को सहवन से अनजाने में होना स्वीकार करते हुये एक शपथ पत्र भी

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

कः–

ार्थी के हक में तहरीर करके दिया गया है कि उक्त इन्द्राजात सहवन से राजस्व भूल के
आया है। उक्त इन्द्राजात को दुरूस्त किये जाने बावत हम अप्रार्थी संख्या एक व दो
ई आपत्ति नही है। परन्तु जमाबंदी में नाम दर्ज होने के कारण उन्हें पक्षकारान बनाया गया
। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल जमाबंदी में उक्त बयनामा दिनांक 07.
04.2014 के आधार पर खसरा नंबर 271 रकबा 028 है0 नहरी द्वितीय वाके ग्राम लिवारी
तहसील व जिला अलवर हिस्सा 17/28 यानि 0.17 है0 को अप्रार्थी संख्या एक व दो के
स्थान पर प्रार्थी धर्म सिंह के नाम नियमानुसार जमाबंदी में अमल करने हेतु अप्रार्थी संख्या तीन
को आदेश सादिर फरमाये जावे व अन्य जो दुरुस्ती उचित समझी जावे वह नियमानुसार किये
जाने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट ली गई।
तहसीलदार अलवर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 136 धर्मसिंह पुत्र जयनारायण सिंह जाति राजपूत बनाम तेजपाल
पुत्र अमरसिंह वगैरह में जाँच रिपोर्ट चाही गई है। जिस क्रम में पह० अलवर न02 से रिपोर्ट
प्राप्त की गई। पटवार हल्का अलवर न०2 की प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी धर्मसिंह पुत्र
जयनारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम वजीरपुर तहसील व जिला गुडगाँव (हरियाणा)
द्वारा संलगन बैयनामा दिनांक 07.04.2014 अनुसार खसरा नम्बर 271 रकबा 0.28 है० वाके
ग्राम लिवारी तहसील अलवर हि 17/28 को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के स्थान पर प्रार्थी
धर्मसिंह के नाम पर दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। मुताबिक संलग्न बैनामा
विक्रेता अमरसिंह पुत्र ईसरसिंह जाति सिख निवासी ग्राम लिवारी तहसील अलवर दवारा केता
धर्मसिंह पुत्र जयनारायण सिंह जाति राजपूल निवासी ग्राम वजीरपुर तहसील व जिला गुडगाँव
(हरियाणा) के पक्ष में बैयनामा क्रमांक 2014001307 दिनांक 07.04.2014 को पंजीबद्ध हुआ है।
जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं हुआ है। विक्रेता की मृत्यु के उपरान्त विक्रेता अमरसिंह
की विरासत का नामा० संख्या 485 वाके ग्राम लिवारी से विरासत दर्ज हो कर ग्राम पंचायत
केसरपुर द्वारा दिनांक 07.05.2015 को स्वीकृत की गई तथा वारिसानो का नाम राजस्व रिकार्ड
में अमल हो गया। मुताबिक हाल जमाबंदी खाता 114 में दर्ज ख0न0 271 रकबा 0.28 है0
विक्रेता के वारिसान तेजपालसिंह तथा दलेरसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के पक्ष में उक्त
वैयनामा अनुसार नामा० दर्ज किये जाने पर विक्रेता के वारिसानो को कोई आपति नही है इस
बाबत विक्रेता के वारिसाने द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। हमने तहसीलदार अलवर की
रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार अलवर ने अपनी रिपार्ट में अंकित किया
है कि प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 07.04.2014 द्वारा विवादित आराजी हाल
खसरा नम्बर 271 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम लिवारी में से 17/28 हिस्सा अर्थात रकबा 0.17
है0 खातेदार अमरसिंह से क्रय की। बयनामा का इन्तकाल दर्ज होने से पूर्व खातेदार अमरसिंह
का देहान्त हो गया और अमरसिंह की विरासत उनके पुत्र तेजपाल एवं दलेरसिंह के नाम दर्ज
हो गई। विक्रेता के पुत्र तेजपाल एवं दलेरसिंह ने इस बाबत् एक शपथ पत्र पर अपनी
सहमति व्यक्त की है कि प्रश्नगत आराजी उनके पिता ने प्रार्थी धर्मसिंह को बेचान कर दी।
क्रेता का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। हमारे नाम सम्पूर्ण आराजी की विरासत गलत
दर्ज हुई है। विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 271 रकबा 0.28 है मे से 17/28 हिस्सा का
नामान्तरकरण धर्मसिंह के हक में दर्ज कराने में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तेजपालसिंह व

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

सिंह ने अपनी सहमति स्वरूप शपथ पत्र पेश किया है। तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट, र्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार लवर की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाता है। आराजी हाल खसरा नम्बर 271 रकबा 0.28 है में से 17/28 हिस्सा वाके ग्राम लिवारी में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तेजपालसिंह व दलेरसिंह पुत्रान अमरसिंह के स्थान पर मुताबिक बयनामा धर्मसिंह पुत्र जयनारायण सिंह राजपूत के नाम अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार अलवर को विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार पालनार्थ भेजी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर
(प्यारे लाल साठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 13.07.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर
(प्यारे लाल साठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर